



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28864

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 2352/2026

वासुदेवयाची

बनाम

अपर आयुक्त (न्यायिक प्रथम), प्रयागराज मंडल एवं 4 अन्यप्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता : अपराजित यादव, श्याम लाल यादव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : आजाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के विरुद्ध उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 33/39 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे वाद संख्या 15 के रूप में पंजीकृत किया गया था। उक्त कार्यवाही में तहसीलदार, कुंडा, जनपद प्रयागराज द्वारा दिनांक 21.11.2001 को एक आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त कार्यवाही के आधार पर 02.04.2002 को याची के विरुद्ध आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर याची द्वारा उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के तहत आयुक्त, इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद के समक्ष निगरानी संख्या 93/388/466/280 वर्ष 2002-03-04 प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी को प्रत्यर्थी संख्या 1- अपर आयुक्त (न्यायिक, प्रथम) प्रयागराज मंडल, प्रयागराज द्वारा दिनांक 19.07.2006 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। इससे व्यथित होकर याची द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष दिनांक 20.09.2006 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया।

"प्रार्थना पत्र वास्ते प्रयुक्त किए जाने अन्तर्निहित क्षेत्राधिकार बाबत निरस्त करने आदेश दिनांक-19.07.2006"

2. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि धारा 151 सी.पी.सी. के तहत दायर उक्त आवेदन को प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दिनांक 24.09.2025 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास अधिनियम, 1901 की धारा 219 के तहत पारित किसी भी आदेश का पुनरावलोकन (Review) करने की शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं है, और अधिनियम, 1901 के तहत पारित किसी भी आदेश के पुनरावलोकन के लिए याची को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिनियम, 1901 की धारा 220 के प्रावधानों के अनुसार पुनरावलोकन आवेदन दाखिल करना चाहिए। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2025 निम्नवत है: (विवरण आदेश में अंकित है)।

"पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत निगरानी भू-राजस्व अधिनियम की धारा- 219 के अन्तर्गत योजित की गयी थी। अतः उ०प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 के उपबन्धों के अन्तर्गत पारित आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति मा० आयुक्त के पास नहीं है बल्कि पुनर्विलोकन की शक्ति उ०प्र० भू-राजस्व अधिनियम की धारा-220 के अन्तर्गत मा० राजस्व परिषद को है। आक्षेपित आदेश मा० आयुक्त द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर पारित किया गया था जो अधिकारिता रहित है। इस प्रकार निगरानकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.2006 निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त इस न्यायालय की पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाय।।"

3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।
4. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 19.07.2006 के आदेश के विरुद्ध याची द्वारा धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पुनरावलोकन के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। उक्त आवेदन को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसके पास पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है और यदि याची किसी आदेश का पुनरावलोकन चाहता है, तो एकमात्र उपाय धारा 220 सी.पी.सी. (अधिनियम) के तहत पुनरावलोकन आवेदन दाखिल करना है।
5. इस मामले में, न्यायालय का यह मत है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पुनरावलोकन आवेदन को खारिज करने हेतु पारित आदेश दिनांक 24.09.2025 पूरी तरह से सही और वैध आदेश है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, पूरी रिट याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है और न ही कोई तर्क दिया गया है कि याची द्वारा धारा 151 सी.पी.सी. के तहत दायर पुनरावलोकन आवेदन किस कानूनी प्रावधान के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष पोषणीय है।
6. उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

10 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"